| तारीख हुक्म | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25-5-18 | यह दावा श्री लक्ष्मी कांत शर्मा ने पेश किया गया। रिपोर्ट अहलमद का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी की जाकर पत्रावली दिनांक 2-8-2018 को पेश हो। <br> उप जिला कलक्टर <br> बामनवास (स० मा०) | |
| 20-7-18 | आज पत्रावली तलब करने पर पेश हुई। वकील वादी उप०/प्रतिवादीगण की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा वकील ने उप० होकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया गया। जो सही स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा पढ़ कर सुनाया गया जो सही होना स्वीकार किया गया। वादी का दावा मुताबिक राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है। डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे। <br> उप जिला कलक्टर <br> बामनवास (स० मा०) | |

## मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 सी.पी.सी.)

## न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

घासी पुत्र गोपी लाल, जाति ब्राह्मण, निवासी रिवाली, तहसील बामनवास,

वादी

**बनाम**

1. रामजी लाल पुत्र घासी,
2. रामभजन पुत्र घासी,
3. गीता पत्नी मुरारी,
4. हरिमोहन पुत्र मुरारी,
5. रवि पुत्र मुरारी,

   क्रम संख्या 4 व 5 नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती गीता
6. रामू उर्फ राम्या पुत्र प्रभू
7. हरिया उर्फ हरिप्रसाद पुत्र प्रभू

सभी जाति कुम्हार, निवासी रिवाली, तहसील बामनवास,

8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास, प्रतिवादीगण

## वाद पत्र बावत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

**राजस्व वाद संख्या 54/2018** निर्णय:- 20-7-18

वादी स्वयं अपने अधिवक्ता श्री लक्ष्मीकांत शर्मा सहित उपस्थित, प्रतिवादीगण अपने अधिवक्ता श्री मनोज शर्मा सहित उपस्थित । यह वाद आज दिनांक 20/7/.2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर दोनों पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

जाता है व डिक्री दी जाती है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2245 रकवा 0.14 हैक्टेयर, 2246 रकवा 0.20 हैक्टेयर स्थित ग्राम रिवाली तहसील बामनवास के संदर्भ में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रहन मुर्तहिन शब्द का विलोपन किया जाकर भूमि को रहन मुर्तहिन से मुक्त हुई घोषित की जाती है तथा यह भी घोषित किया जाता है कि वादी की उक्त आराजियात् पर प्रतिवादीगण का कोई भार शेष नहीं है, उपरोक्त आराजियात् पर दर्ज इन्द्राज रहन मुर्तहिन को विलोपित किया जाकर तहसीलदार बामनवास को जमाबंदी में उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन करने के आदेश दिए जाते हैं ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 20/7/..2018 को जारी की गई ।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

(रामकिशोर मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

| वादी | खर्चा | प्रतिवादी | खर्चा |
|---|---|---|---|
| स्टॉम्प अर्जीदावा | | स्टॉम्प वकालतनामा | |
| स्टॉम्प वकालतनामा | | स्टॉम्प अर्जीदावा | |
| स्टॉम्प बजह सबूत | | मेहनताना वकील | |
| मेहनताना वकील | | खर्चा गवाहान | |
| बावत इजराय हुक्मनामा | | फीस कमिश्नर | |
| मुतफर्रिक | | इजराय हुक्मनामा | |
| | | मुतफर्रिक | |
| योग | | योग | |